[23/2/2026]

प्रश्न सं. [क्र. 2121]

परिशिष्ट

विधान सभा अतरांकित प्रश्न क्रमांक 2121 द्वारा श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा सदस्य विधानसभा

1. पात्रता श्रेणियों से अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

अपात्र व्यक्तियों के नाम नियमित रूप से राशन मित्र पोर्टल के माध्यम से स्थानीय निकाय/ASO, JSO के लॉगिन से हटाने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजानिक वितरण विभाग से प्राप्त निर्देश के अनुक्रम में मृत, निलंबित, रद्द या अमान्य स्थिति से जुड़े निष्क्रिय आधार कार्डधारी, 6 महीने से अधिक समय से निष्क्रिय (साइलेंट) राशन कार्डधारी, डुप्लिकेट लाभार्थी, 6 लाख से अधिक वार्षिक आय, पंजीकृत कम्पनीयों में संचालक के पद पर कार्यरत सदस्य, 25 लाख रूपये से अधिक व्यवसाय कर GST भुगतान करने वाले एवं आयु संबंधी विसंगतियों के अंतर्गत सम्मिलित हितग्राहियों की सूची के सत्यापन उपरांत अपात्र व्यक्तियों/परिवारों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

2. पात्रता श्रेणीयों में पात्र व्यक्तियों के नाम जोडने की प्रक्रिया- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत नवीन पात्र परिवारों का चिन्हाकन, सत्यापन एवं उन्हें योजनांतर्गत लाभान्वित करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया क्रियान्वित है:-

(क) अधिनियम अंतर्गत पात्रता श्रेणियों में आने वाले नवीन आवेदकों द्वारा अपनी पात्रता संबंधी वैध दस्तावेज के साथ ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराया जाता है।

(ख) पंजीयन उपरांत आवेदक को डाटा स्थानीय निकाय कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से अनुशंसित किया जाता है।

(ग) स्थानीय निकाय स्तर पर अनुमोदन होने के उपरांत उक्त डाटा DSO/JSO के लॉगिन से स्वीकृति हेतु प्रदर्शित होता है।

(घ) जिला स्तर से अनुशंसा/स्वीकृति के पश्चात पात्र हितग्राही द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी की जानकारी दर्ज किये जाने के उपरांत NIC भोपाल द्वारा पात्रता पर्ची जारी करने की कार्यवाही की जाती है।

अनुभाग अधिकारी,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय